



अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 27 माघ, 1947 (श०)
16 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 93

(1) गृह विभाग	51
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	13
(3) वित्त विभाग	05
(4) उद्योग विभाग	09
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	05
(6) गन्ना उद्योग विभाग	05
(7) सूचना प्रवर्धिका विभाग	01
(8) सिविल विमानन विभाग	02
(9) निगरानी विभाग	01
(10) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	01

कुल योग -- 93

भवन का निर्माण

*1042. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत परमानंदपुर थाना एवं मठाही ओ0 पी0 का अपना भवन नहीं है और न ही कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिये आवासीय भवन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक थाना के लिये भवन एवं कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के लिये आवासीय भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1043. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मुस्तफापुर, आलमपुर, महथी आदि पंचायतों में अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है, जबकि अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन को कब्जा मुक्त

*1044. मो0 आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसल्लहपुर स्थित मछली मार्केट के पीछे विगत दो वर्षों से गेसिंग, जुआ एवं अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है तथा श्रीमती सीमा देवी के जमीन पर यह कार्य चल रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध रूप से संचालित गेसिंग, जुआ एवं शराब की बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1045. श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत 202, राजपुर विधान सभा, प्रखंड-इटाही के पंचायत कुकुड़ा में लगभग 14 गांव अवस्थित है और उक्त प्रखंड अंतर्गत पंचायत कुकुड़ा के 10 कि0मी0 के अंतराल पर इटाही थाना अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना अंतर्गत ग्राम के ग्रामीणों को विभिन्न कार्य हेतु 10 कि0मी0 की दूरी तय कर इटाही थाना आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुकुड़ा पटेल चौक स्थित पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिलों को चालू करना

*1046. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास उद्योग पुंज बिक्रमगंज में चीनी मिल संचालित हो रही थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा है, जबकि सरकार वर्तमान में चीनी मिलों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डालमियानगर एवं बिक्रमगंज अवस्थित चीनी मिलों को चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1047. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत अमौर थाना 20 पंचायत एवं एक नगर पंचायत पर आधारित थाना है जिसका चहारदीवारी का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण थाना में पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के चहारदीवारी का निर्माण कार्य कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1048. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चंद्रायण चौक से सहरसा तक विनोवा पथ रोड की लगभग 21 किलोमीटर लंबाई में कहीं भी पुलिस चौकी अथवा थाना स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग पर पुलिस व्यवस्था के अभाव में छिनतई, मारपीट, नशा कारोबार एवं अन्य आपराधिक घटनाएँ लगातार घटित हो रही हैं, जिससे आमजनता में भय का वातावरण व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त मार्ग पर नए थाना या पुलिस चौकी का निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना से जोड़ना

*1049. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस के पंचायत नौवाँ, नखर एवं चित्तौव का पुलिस संबंधित कार्य थाना दिनारा से होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त तीनों पंचायतों का राजस्व, विकास एवं ग्रामीणों से संबंधित अधिकांश कार्य प्रखंड कोचस से होता है और नखर एवं नौवाँ कोचस थाना के नजदीक है, जबकि दिनारा थाना दूर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के गाँवों को कोचस थाना से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1050. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत नगर परिषद, फुलवारीशरीफ के वार्ड नं0-06 में टमटम पड़ाव कब्रिस्तान है, जिसका खाता नं0-775, 776 प्लॉट नं0-334, 335, 336 वक्फ स्टेट नं0-1482 है जो सर्वे खतियान में कब्रिस्तान दर्ज है, जिसकी पूरब साईड चहारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1051. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अंतर्गत नुआंव प्रखंड के नुआंव बाजार में भारतीय स्टेट बैंक नहीं होने के कारण आस-पास के ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नुआंव बाजार में भारतीय स्टेट बैंक नहीं होने से ग्रामीण जनता को लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर भारतीय स्टेट बैंक में जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नुआंव बाजार में भारतीय स्टेट बैंक खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1052. श्रीमती विनिता मेहता (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में गोविन्दपुर विधान सभा अंतर्गत रोह प्रखंड में एक भी पंजीकृत बैंक नहीं है, जिससे किसान, महिलाएँ एवं युवा रोजगार/स्वरोजगार हेतु ऋण व सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार रोह प्रखंड में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा

*1053. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिले के घोसी क्षेत्र वर्तमान में केवल पुलिस अनुमंडल के रूप में कार्यरत है तथा वहाँ राजस्व एवं अन्य नागरिक सेवाओं की समुचित स्थानीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार घोसी को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक की स्थापना

*1054. श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलांतर्गत दरौली एवं गुठनी प्रखंड में अग्निशामक यंत्र नहीं होने के कारण आगलगी के समय सिवान जिला में उक्त प्रखंड में अग्निशामक यंत्र पहुंचने में काफी समय लगता है तबतक जान-माल की हानि हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में अग्निशामक स्थापित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना की स्थापना

*1055. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड के खैरी, फेटकी कुट्टी बाबूजीवन, मलफा टोल, भीठ भगवानपुर, रहिका, रजौर महासिंह हसौली, कल्याणपुर, दर्जिया बैघनाथपुर की भौगोलिक स्थिति एवं 10 कि०मी० की दूरी के कारण पुलिस प्रशासन को उक्त कानून व्यवस्था का समुचित समय लाभ गाँवों को नहीं मिल पा रही है तथा क्षेत्र दरभंगा-मधुबनी की सीमा के निकट है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनमें से कई गाँव के बीच से नदी की धारा बहती है जहां पुलिस प्रशासन (धाना) को पहुँचे में कठिनाई होती है तथा कई गाँव दोनों तटबंधों के बीच बसा है जहां आये दिन कानून व्यवस्था सम्बन्धी घटनाएँ होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधेपुर प्रखंड में बाकी पंचायत के फेटकी कुट्टी में धाना की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक/आउटपोस्ट खोलना

*1056. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या-4 में DAV चौक, रहमत नगर, बक्सघाट टोला सहित एससी/एसटी बहुल क्षेत्र स्थित है तथा यहां जनसंख्या घनत्व अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र से धाना की दूरी अधिक होने के कारण विधि व्यवस्था नियंत्रण में विलंब एवं कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार DAV चौक स्थित पूर्व से संचालित बंद पड़े पुलिस चौकी भवन में नई TOP (ट्रैफिक/आउटपोस्ट) खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

संथाली भाषा को अधिसूचित करना

*1057. श्री पुरन लाल टुइ (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बावजूद अबतक बिहार सरकार के राजपत्र (गजट) में इसे विधिवत अधिसूचित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक संथाली भाषा को बिहार राजपत्र (गजट) में अधिसूचित कर इसे राज्य स्तर पर मान्यता एवं व्यवहार में लाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० की स्थापना

*1058. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड मझौलिया के सरिसवा बाजार में पुलिस ओ०पी० स्थापित नहीं है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुलिस ओ०पी० कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ए०सी०पी० का लाभ

*1059. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सी०डब्लू०जे०सी० नं० 18727/2017, दिनांक 28 जून, 2024 को पारित आदेश के आलोक में मुफस्सिल/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिक कर्मियों को बिना लेखा परीक्षा उत्तीर्ण के ही ए०सी०पी० लाभ देने की व्यवस्था की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सचिव, (व्यय) के पत्रांक 4862, दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश अनुपालन का पत्र निर्गत होने के बाद भी राज्य में बहुत सारे लिपिक कर्मियों को ए०सी०पी० का लाभ अभी तक नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में लिपिक कर्मियों को ए०सी०पी० का लाभ कब तक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना का निर्माण

*1060. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिला के बेलहर विधान सभा अंतर्गत चान्दन प्रखंड के ग्राम पंचायत-पश्चिमी कटसकरा अवस्थित चतराहन गांव भौगोलिक रूप से मुख्यालय से काफी सुदूर एवं दुर्गम इलाके में स्थित है, जो पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चतराहन गाँव बेलहर धाना के अंतर्गत आता है जो उक्त गाँव से 25 कि०मी० दूर है तथा अन्य नजदीकी धाना-सुर्यया धाना-20 कि०मी०, भैरोगंज धाना-30 कि०मी० एवं चान्दन धाना-50 कि०मी० दूर स्थित है, जिसके कारण यहां के ग्रामीण एवं महिलाएँ ससमय सुरक्षा, संरक्षा, एवं न्यायोजित कानून व्यवस्था से वंचित रह जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित गाँव के समीप एक नये धाना का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना

*1061. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज(अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज विधान सभा क्षेत्र के त्रिवेणी प्रखंड में मक्के तथा आलू की खेती किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में मक्का तथा आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार त्रिवेणीगंज विधान सभा के त्रिवेणीगंज प्रखंड में मक्का तथा आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग कब तक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

B.O.P स्थापित करना

*1062. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत के खजौली प्रखंड के सरा सोनपताही पंचायत अन्तर्गत मदनेश्वर स्थान में B.O.P नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मदनेश्वर स्थान एक धार्मिक स्थल है जहां वर्ष 2002 में पुलिस B.O.P था परन्तु वर्तमान में स्थापित नहीं होने से हमेशा अप्रिय घटना घटती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदनेश्वर स्थान पर B.O.P कब तक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज उपलब्ध कराना

*1063. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के गन्ना की खेती बहुतायत से होने के बावजूद नये किस्म के गन्ने का बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के राजपुर एवं हुसैनी कृषि फार्म से गन्ना प्रजनन कर किसानों को बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1064. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुदनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुदनी प्रखंड में एस०डी०पी०ओ० कार्यरत है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि कुदनी में एस०डी०पी०ओ० का अपना भवन नहीं होने से इनका कार्यालय तुर्की धाना में ही चलता है, जिससे आमजनों को काफी परेशानी होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कुदनी प्रखंड में एस०डी०पी०ओ० कार्यालय का भवन कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक वाहन की व्यवस्था

*1065. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा एवं किशनपुर प्रखंड गर्मी के दिनों में लगभग प्रतिवर्ष आग लगने की घटना होने पर काफी जान-माल का नुकसान होता है और उक्त दोनों प्रखंड मुख्यालय के अग्निशामक वाहन छोटा तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण अन्य जगह से अग्निशामक वाहन पर निर्भर होने के कारण आग से काफी नुकसान हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों प्रखंड मुख्यालय में अधिक क्षमता वाला बड़ा अग्निशामक वाहन की व्यवस्था स्थायी रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1066. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार मॉडर चहारदीवारी निर्माण योजना के तहत बेगूसराय जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 2025 में अनुशासित 33 मठ/मंदिरों की चहारदीवारी हेतु जिला योजना पदाधिकारी के पत्रांक 494/योज०, दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-01, बेगूसराय को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त समिति के बैठक में बेगूसराय विधान सभा के 12 मंदिर/मठ ठाकुरबाड़ी जैसे अतिमहत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का चयन किया गया था परन्तु चयन के बावजूद 9 माह बीत जाने के बाद भी धार्मिक स्थलों की चहारदीवारी नहीं हुआ ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समिति द्वारा अनुशासित बेगूसराय विधान सभा के धार्मिक स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हवाई अड्डा के रनवे को बड़ा करना

*1067. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि इंडिया टूरिज्म डाटा रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में गयाजी हवाई अड्डे पर कुल 47,500 विदेशी पर्यटक आये थे जो कालीकट, कोयंबटूर, लखनऊ, पुणे, मद्रुरै जैसे हवाई अड्डे पर आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गयाजी हवाई अड्डा का छोटा रनवे होने के कारण अधिकांश विदेशी पर्यटक पहले लखनऊ या वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरते हैं, फिर गयाजी उतरते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक गयाजी में हवाई अड्डे के रनवे को बड़ा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी0बी0आई0 जाँच कराना

*1068. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के गोह धाना अंतर्गत गोह बाजार के धर्मेन्द्र कुमार, पिता-राम सेवक साह की 15 वर्षीय पुत्री अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी की दिनांक 6 जनवरी, 2026 को फरफैक्ट गर्ल्स पी0जी0 हॉस्टल, एक्जिबिशन रोड नियर बजाज सर्विस सेंटर के कमरे में संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गयी थी जिसका गांधी मैदान धाना कांड संख्या 09/26 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त युवती के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल टीम के द्वारा नहीं करायी गयी जिससे मृतिका के परिजनों में असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त युवती के सौदिग्ध मृत्यु की उच्चस्तरीय (सी0बी0आई0) जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*1069. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 673, दिनांक 8 मार्च, 2011, पत्र सं0 11/आ.-विविध-10/2016 सा.प्र. 1407, पत्र सं0 11/आ.नी.-III-01/2017 एवं पत्र सं0 11/आ. 10/2016 सा. प्र. 8738, दिनांक 02 जून, 2022 में दांगी जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल करके उनके जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का आदेश जारी किया गया था, परंतु उक्त पत्रों के विभागीय निर्देशों के बाद भी दांगी जाति का प्रमाण-पत्र बनने में अथवा स्थल निरीक्षण के उपरांत भी प्रमाण-पत्र बनाने के आदेश के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे दांगी वर्ग में काफी असंतोष है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार दांगी जाति को प्रमाण-पत्र बनाने हेतु उक्त विषय पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई अड्डा का निर्माण

*1070. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत सोनपुर में एक भी हवाई अड्डा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत सोनपुर को आधुनिक सैटेलाइट टाउनशीप/ग्रीनफील्ड टाउनशीप के रूप में विकसित करने के सूची में शामिल किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना भवन का निर्माण

*1071. श्री श्रुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में कहलगांव धाना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित है जिसका भवन अत्यंत पुराना, जर्जर एवं अपर्याप्त है, जिससे पुलिस प्रशासन के दैनिक कार्यों के संचालन, अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव तथा आम नागरिकों को त्वरित एवं सुचारू पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए समुचित आवासीय सुविधा का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार कहलगांव धाना भवन के स्थान पर आधुनिक धाना भवन तथा पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1072. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड में अवस्थित ग्राम-सलैया एवं प्रखंड सोनो के ग्राम-जरकारा आदि गाँवों में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान में जीव-जंतु एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा प्रायः बना रहता है, जिससे ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1073. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड से बेलहा गाँव की दूरी 17 कि०मी० है तथा बेलहा गाँव से खुरीना धाना की दूरी लगभग 20 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फुलपरास धाना और खुरीना धाना से बेलहा गाँव की दूरी अधिक होने के कारण अपराधियों का मनोबल ऊँचा है, साथ ही दिनांक 25 जनवरी, 2026 को अपराधियों ने एक 17 वर्षीय छात्र को गोली से मार दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गेहुंमा वैरिया पंचायत के बेलहा गाँव में +2 उच्च विद्यालय के पास एक पुलिस चौकी बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1074. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 6 जनवरी को पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही NEET की तैयारी कर रही छात्रा सिदिग्ध अवस्था में बेहोश पाई गई, जिसे बिना पुलिस सूचना के अस्पताल ले जाया गया तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि घटना के बाद तीन दिनों तक न तो हॉस्टल, न कमरा, न बिस्तर और न ही कपड़े सील किए गए, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हुए साथ ही धाना प्रभारी द्वारा मामले को आत्महत्या बताकर गलत रिपोर्ट दी गई, जिसे बिना समुचित जाँच के ASP, SP एवं SSP स्तर तक आगे बढ़ाया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और सलिलपत सभी दोषियों को सजा दिलाने का विचार करती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय स्थापित करना

*1075. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश स्तर पर किसी भी तरह की अनियमितता की मोनिटरिंग निगरानी विभाग, पटना से किया जाता है, लेकिन जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की बरती जा रही भ्रष्टाचार को मोनिटरिंग करने के लिए कार्यालय नहीं होने से शिकायतकर्ता को आवेदन देने के लिए तकनीकी व आने-जाने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार प्रमंडलीय स्तर पर निगरानी विभाग का कार्यालय कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1076. डॉ० प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के दाउदनगर नगर परिषद् के अधीन वार्ड नं० 5 हुसैनी बाजार पक्कीबाग एवं वार्ड नं० 6 बरारुण रोड लतीफ शाह में कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसका घेराबंदी का कार्य नहीं कराया गया है, फलस्वरूप खुला होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है जिससे कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित वार्डों में कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1077. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से राज्य के सभी धानों में आगंतुक कक्ष (Visitor Room) एवं महिला हेल्प डेस्क के लिये भवन निर्माण निगम की योजना लागू की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेला थाना में अबतक आगंतुक कक्ष एवं महिला हेल्प डेस्क हेतु पृथक भवन का निर्माण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार परिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के बेला थाना के आगंतुक कक्ष एवं महिला हेल्प डेस्क के लिये भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी देना

*1078. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी विधान सभा में सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं मिल पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ आमजनता तक पहुँच नहीं रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी माननीय सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू करना

*1079. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपरा विधान सभा के चम्पारण सुगर मिल, चकिया 1995 से बंद हो गई है तब से इस क्षेत्र के गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार चकिया में चीनी मिल पुनः चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक (फायर) स्टेशन बनाना

*1080. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 6 लाख की आबादी होने के बावजूद वर्तमान में एक भी अग्निशामक (फायर) स्टेशन उपलब्ध नहीं है, जिससे आग के आपात समय में समय से दमकल नहीं पहुंच पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कबतक अग्निशामक (फायर) स्टेशन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1081. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट तथा पलासी प्रखंड में अल्पसंख्यकों की आबादी 70 प्रतिशत है जबकि उक्त प्रखंडों में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिसके कारण उक्त प्रखंडों के अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी को उक्त विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर कबतक पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित कराना

*1082. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पंचदेवरी में थाना स्थापित नहीं है, जबकि थाना स्थापित करने हेतु प्रखंड पंचदेवरी पंचायत सिमरिया के समीप सरकारी भूमि पर्याप्त उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर थाना स्थापित नहीं होने से आस-पास कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर कटेया थाना को सूचना देना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 10 किलो मीटर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थान पर थाना स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1083. मो० फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-2) ढाका)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं हेतु अबतक किसी सरकारी अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास की स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ स्थानों पर निवास करने अथवा किराये पर रहने को विवश होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ढाका प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*1084. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या 190 पालीगंज) - क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानाध्यापिका, उच्च-माध्यमिक विद्यालय, बरदाहा, इस्लामपुर द्वारा हिलसा अनुमंडलाधिकारी श्री अमित कुमार पटेल के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर एवं घोंस दिखाकर कई महीनों तक शारीरिक, मानसिक और फोनिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 20679, दिनांक 05 नवम्बर, 2025 के प्रत्युत्तर में शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य और अभिलेख भी उपलब्ध कराई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में अभी तक हिलसा अनुमंडलाधिकारी के खिलाफ न तो कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है और न ही कथित जांच प्रक्रिया से पूर्व आरोपी अनुमंडलाधिकारी को उसके पद से निलंबित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण

*1085. श्री रमेश ऋषि (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर से मधेपुरा जानेवाली रोड राष्ट्रीय उच्च पथ 106 में नारियल विकास बोर्ड के पास से सूखासन जाने वाली चौराहे पर ट्रैफिक पोस्ट नहीं रहने के कारण विगत पन्द्रह वर्षों से दुर्घटनाएँ होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चौराहे पर ट्रैफिक पोस्ट कब तक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का लाभ

*1086. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि स्नातक स्तरीय प्रथम प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा 2010 विज्ञापन संख्या 110/2010 के परीक्षाफल का प्रकाशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2010 के प्रावधान एवं राज्य के आरक्षण संबंधी निर्गत अनुदेशों के अनुसार नहीं हुआ था तथा उक्त के परीक्षाफल का प्रकाशन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4310-4311/2010 भारत सरकार बनाम रमेश दास एवं अन्य के निर्णय अथवा भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा के संचालन हेतु सिविल सर्विस परीक्षा नियमावली, 2005 के आधार पर किया गया था जो सिर्फ भारतीय सेवाओं के लिए संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिए अधिसूचित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त विज्ञापन के परीक्षाफल को बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2010 के प्रावधान के अनुरूप सुधार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1087. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनहारी (अ० ज० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, अमदाबाद ने अपने पत्रांक 07, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 द्वारा जल संसाधन विभाग की अधिग्रहित जमीन को जालसाजी और फर्जीबाड़ी कर उक्त

जमीन बिक्री करने संबंधी आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रतिवेदन अमदाबाद थाने को दिया है, लेकिन अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1088. श्री कर्णजोत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौदा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत भिखाबांध भैया बहिनी, मडसरा एवं आसपास के इलाकों से पुलिस थाना दरौदा एवं महाराजगंज थाना काफी दूर है, जिससे अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं एवं अपराध होने पर ग्रामीणों को काफी दूर दरौदा थाना या महाराजगंज थाना जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से भिखाबांध या मडसरा में पुलिस चौकी कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का नामकरण

*1089. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत बोचहां विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर पंचायत में NH 28 से सटे वन विभाग के ऑफिस में एक वर्ष पूर्व नक्सली थाना के नाम से थाना स्थापित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला का मुशहरी प्रखंड लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेरपुर में स्थापित नक्सली थाना का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण थाना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना

*1090. श्री कृष्ण कुमार मंड (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अमनौर अंचल के अरना मौजा में 70.05 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु राजस्व विभाग द्वारा उद्योग विभाग को हस्तान्तरण के 6 माह के बाद भी आजतक उक्त भूमि पर आधारभूत संरचना यथा सम्पर्क सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र को आई०टी० एवं दवा उद्योग के लिए चयनित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना

*1091. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत गौरीपुर ग्राम में खादी ग्रामोद्योग भवन जर्जर अवस्था में है, जो विलुप्त हो गया है, जबकि उक्त खादी भंडार की जमीन को धीरे-धीरे अवैध रूप से लोगों द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन सहित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंदिरों की सुरक्षा

*1092. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण, गोपालगंज, सिवान सहित अन्य जिला के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों में विगत एक वर्ष में लगभग 400 कीमती मूर्तियों एवं आभूषणों की चोरी हो चुकी है, जिनमें लगभग 255 की बरामदगी हो पाई है एवं शेष को बरामदगी बाकी है, यदि हाँ, तो सरकार मंदिरों में चोरी की घटना को रोकने एवं मंदिरों की सुरक्षा उपलब्ध कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा का निर्माण

*1093. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुगौली विधान सभा क्षेत्र (जिला पूर्वांचल) अंतर्गत प्रखण्ड रामगढ़वा में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रखण्ड स्तरीय 15 सूत्री कार्यान्वयन समिति से पारित योजना ग्राम पंचायत बेला में वार्ड सं० 11 के मदरसा में 4 (चार) अतिरिक्त वर्ग कमरा का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि PMJVK योजना मद में राशि उपलब्ध है, यदि हाँ, क्या तो सरकार उक्त वर्णित योजना का कार्यान्वयन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ईख मूल्य का भुगतान

*1094. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों से गोपालगंज जिला के सासामुसा सुगर मिल 4299.08 लाख एवं पूर्वांचल जिला के मोतिहारी चीनी मिल वर्ष 1990 से अभी तक 1491.74 लाख रु० ईख क्रय मूल्य का भुगतान नहीं की है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिलों का बकाया ईख मूल्य का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा नियमितीकरण

*1095. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के मुजफ्फरपुर पटना सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति जिलाधिकारों की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुखिया/पंचायत स्तर पर नियुक्त शिक्षकों को सरकार द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है, जबकि कार्यपालक सहायक पिछले 15 वर्षों से अभी भी सविदा पर ही कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पंचायत स्तर पर नियुक्त शिक्षकों की भाँति, विगत 15 वर्षों से सविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सेवा नियमितीकरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1096. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर तापुर प्रखंड अंतर्गत माधोपुर दिघरूआ के खाता नं० 43 सर्कल नं० 173 में कब्रिस्तान अवस्थित है, ताजपुर नगर परिषद के अंतर्गत मुर्गिया चौक रहिमाबाद में एन०एच० 28 के किनारे अवस्थित कब्रिस्तान का घेराबंदी ध्वस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं रहने से असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे क्षेत्र की जनता को परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करना

*1097. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डेहरी डालमिया नगर दशकों से शाहाबाद क्षेत्र की प्रमुख उद्योग मृत पाया है एवं यहाँ प्रोसेस्ड फूड, सीमेंट, गन्ना तथा अन्य लघु उद्योगों की अच्छी संभावना है, यदि हाँ, तो सरकार डालमिया नगर में फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकसित करने का कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की दीवार का निर्माण

*1098. मो० कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला व नगर परिषद् क्षेत्र किशनगंज अंतर्गत स्थान-हलीम चौक, मौजा खगड़ा, छाता नं० 60, खेसरा नं० 1286 व 2205 में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान त्रिभुजाकार में है तथा इसके एक साइड की दीवार का निर्माण 5 वर्ष पूर्व निर्माण किया जा चुका है तथा शेष 2 साइड की दीवार का निर्माण होना बाकी है, जिसके कारण यह कब्रिस्तान प्रतिबंधित आवारा पशुओं का चारागाह बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की शेष दो दीवार का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण-उद्योग लगाना

*1099. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के रूपौली विधान सभा क्षेत्र में मक्का एवं केला की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में कोई भी मक्का एवं केला आधारित फैक्ट्री नहीं रहने के कारण क्षेत्र के मजदूरों को पलायन करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मक्का एवं केला आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1100. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के मैखंड गाँव में दिनांक 13 फरवरी, 2025 को काजल कुमारी, उम्र 15 वर्ष माता-संगीता देवी, पिता-अमित मंडल को दुष्कर्म करके हत्या की गई थी, जिसमें रघुवंश नगर थाना काण्ड सं० 12/25 दर्ज किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जघन्य दुष्कर्म हत्याकाण्ड में पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्तों पर कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार काजल कुमारी दुष्कर्म हत्या काण्ड के उद्भेदन हेतु त्वरित अनुसंधान कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना का निर्माण

*1101. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत पुरण छपरा सुदूर ग्रामीण इलाका एवं उसके आस-पास का क्षेत्र चकिया धाना से 15-20 कि०मी० कल्याणपुर धाना से 25-30 कि०मी० तथा कोसरिया धाना से 25-30 कि०मी० का क्षेत्र है, साथ ही अंतर जिला का बॉर्डर सीमा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र अगल-बगल के सभी धानों से काफी दूरी तथा सुलभ आवागमन नहीं होने के कारण अपराधी को शीघ्र पकड़ने तथा अपराध रोकने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पू० गवन्दा, उ० गवन्दा मेदन सिरसिया, बासपाट तथा अन्य अगल-बगल के क्षेत्र को मिलाकर पुरण छपरा में नया धाना बनाकर अपराध रोकने तथा आम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वाहनों को उपलब्ध कराना

*1102. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पौरपैती (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत पौरपैती प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन यंत्रों से संबंधित व्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहने से आगलगी की घटनाओं को झेलना पड़ता है, जिस कारण यहां के आमजनों को जान-माल की क्षति होती है, जबकि उक्त प्रखंड में अधिकतर क्षेत्र दियारा पड़ता है, जिससे आगलगी की घटनाएँ अधिक घटती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड मुख्यालय में दो अतिरिक्त अग्नि वाहनों सहित सभी धानों पर उक्त वाहनों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण

*1103. श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण के प्रखंड-बंजरिया, छौड़ादानों, बनकटवा के कठनौतिया मठ, बैकूठवा मंदिर, गढ़ी भाई मंदिर, ग्राम-हिरौनी शिव मंदिर, बंधुवईया मठ, महंत सिमरी मठ, महंत धर्मदास मठ, सटौरा रामजानकी मंदिर, कोचिला वन मंदिर इनरवा फुलहार, बगहा मठ, ब्रह्मस्थान मठ के चहारदीवारी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा एवं अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मठों/मंदिरों वर्णित स्थानों चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1104. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत योगापट्टी को पुलिस अनुमंडल बनाया गया है, जबकि पुलिस अनुमंडल का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस अनुमंडल का भवन के अभाव में उक्त पुलिस अनुमंडल, बेतिया में जैसे-तैसे चलाया जा रहा और शनीचरी ओ०पी० की एक एकड़ भूमि एन०एच० 727 पर उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शनीचरी ओ०पी० के उक्त उपलब्ध खाली भू-खंड पर योगापट्टी पुलिस अनुमंडल का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० भवन का निर्माण

*1105. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सदर थाना मधेपुरा के धैलाड़ ओ०पी० एवं भराही ओ०पी० का अपना भवन नहीं है और वह सिंचाई विभाग के वर्षों पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ओ०पी० का भवन एवं कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के लिये आवासीय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1106. मौ० आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड अन्तर्गत चन्द्रदेई एवं रहिकपुर कब्रिस्तान का अर्द्ध घेराबंदी किया गया है, जिसके कारण पशु कब्र को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है खण्ड (1) में वर्णित कब्रिस्तानों को पूर्ण घेराबंदी की सूची से हटा दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित कब्रिस्तानों को जिला प्राथमिकता सूची में सम्मिलित कराते हुए कब्रिस्तान घेराबंदी पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोषागार कार्यालय स्थापित करना

*1107. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत मुख्य कोषागार कार्यालय, सासाराम एवं डिहरी में एक सहायक कोषागार कार्यालय का संचालन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सासाराम से डिहरी की दूरी 20 कि०मी० है और बिक्रमगंज की दूरी 40 कि०मी० है जबकि बिक्रमगंज अनुमंडल में कुल 08 प्रखंड एवं एक नगर परिषद् तथा 04 नगर पंचायत अवस्थित है इसके अलावे अनुमंडल कार्यालय तथा सहायक रजिस्ट्री कार्यालय भी संचालित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिक्रमगंज अनुमंडल में एक कोषागार कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैठक कराना

*1108. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी करना सरकार की योजना है परन्तु संवेदनशील कब्रिस्तानों को चिन्हित करने हेतु पिछले सात वर्षों में जिला स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार संवेदनशील कब्रिस्तानों को चिन्हित करने हेतु जिलास्तरीय बैठक कर कार्यान्वयन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*1109. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार राज्य में खरवार जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं० 118, दिनांक 17 जून, 1988 की कॉडिका 02 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है जिसके अनुरूप खतियान के अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है, जबकि कैमूर जिला के प्रखंड रामगढ़, दुर्गावती, नुआंव में खरवार समुदाय से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए खतियान की मांग की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला के प्रखंड में खतियान के अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र कबतक निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पिकेट की स्थापना

*1110. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान थाना क्षेत्रों का भौगोलिक विस्तार तथा जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी पहुँच बाधित हो रही है, जिससे अपराध नियंत्रण एवं जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार शादीपुर एवं बरामा में पुलिस पिकेट की स्थापना करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल की स्थापना

*1111. श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिले में बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती होती है लेकिन चीनी मिल न रहने से उक्त जिले का गन्ना उत्तर प्रदेश चला जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सिवान या गुठनी प्रखंड में किसी स्थान पर चीनी मिल की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आवास का निर्माण कराना

*1112. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल की स्थापना

1972 में हुई है लेकिन अनुमंडल स्तरीय एवं अन्य पदाधिकारियों के लिए आवासन हेतु सरकारी आवास का निर्माण अबतक नहीं किया गया है, जिसके कारण पदाधिकारियों के आवास की सुविधा नहीं मिलने से उन्हें सुरक्षा, गोपनीयता एवं मानसिक रूप से तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार झंझारपुर स्थित अनुमंडल स्तरीय एवं अन्य पदाधिकारियों के आवासन हेतु सरकारी आवास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई०टी० पार्क स्थापित कराना

*1113. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, सूचना प्रावधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल के युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने, सीमांचल की प्रगति एवं राज्य के समग्र आर्थिक विकास में सहभागी हेतु पूर्णियाँ में आई०टी० पार्क की स्थापना नहीं हुई है, जबकि पूर्णियाँ में आई०टी० पार्क के निर्माण हेतु पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार बिहटा एवं दरभंगा की तर्ज पर पूर्णियाँ में आई०टी० पार्क स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाति प्रमाण-पत्र जारी करना

*1114. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत चनपटिया विधान सभा क्षेत्र में निवास करने वाले खरवार जाति के सदस्यों को वर्तमान में अनुसूचित जनजाति (ST) का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि पूर्व में यह निर्गत होता रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा पत्र संख्या 11/आ०नि०-11-03/2024, दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के माध्यम से जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि केवल खतियान नहीं, अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए लेकिन परिपत्र संख्या 673, दिनांक 8 मार्च, 2011 के अनुसार दस्तावेज नहीं होने पर स्थल निरीक्षण के आधार पर भी प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चनपटिया विधान सभा क्षेत्र में उक्त जाति प्रमाण-पत्र कबतक निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस आउटपोस्ट बनाने

*1115. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड परैया अन्तर्गत पंचायत-सोलरा, ग्राम कष्ठा से पुलिस चौकी दूर होने के कारण कानून व्यवस्था की समस्या के निदान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुये ज्ञापांक 2/थाना-10/04/2024, गृह०आ० 10384, दिनांक 04 सितम्बर, 2024, बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (मु०), बिहार, पटना को ग्राम कष्ठा के निकट पुलिस आउटपोस्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्राचार किया गया था परन्तु अभीतक निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की समस्या के निदान हेतु पंचायत सोलरा स्थित गया-परैया-रफीगंज मुख्य पथ पर ग्राम-कष्ठा के निकट कबतक पुलिस आउटपोस्ट बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्पेशल पुलिस फोर्स (STF) का गठन

*1116. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज सहित सीमावर्ती क्षेत्र में बंगाल, असम, नेपाल तथा बांग्लादेश के स्मैक कारोबारियों ने गहरी पैठ बना ली है, जिससे नशे की लत युवाओं में फैलती जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्रों में स्मैक आपूर्ति रीग पर रोक लगाने के लिये स्पेशल पुलिस फोर्स (STF) का गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंडप का निर्माण

*1117. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड मुख्यालय में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शादी-विवाह सहित सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों आदि के लिये कोई सद्भावना मंडप नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कर्ष्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में सद्भावना मंडप का निर्माण कराने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनपुर प्रखंड मुख्यालय में सद्भावना मंडप बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1118. श्री अमरेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के गोह प्रखण्ड अन्तर्गत के खाता नं० 1138, प्लॉट नं० 2691, 2692 रकबा 1465 डी० और बाजार वर्मा पंचायत के बाजार वर्मा में प्लॉट नं० 1912, खाता नं० 8, रकबा 10.25 डी० में एक कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का जमावड़ा लग जाता है जिससे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केंद्र सरकार को पत्र भेजना

*1119. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड के बुमेर पंचायत के कुछ गांव यथा जहजवा, उपरेली गोही, मनफर इत्यादि गांव में सेना के मिलिट्री अभ्यास के दौरान तोप के गोले आते हैं जिसमें कुछ गोले जीवित भी होते हैं अर्थात् फटते नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सेना के गोलों से घनी आबादी वाले बस्तियों में गिरकर फटने से अबतक कई जाने जा चुकी हैं तथा कई बार भेरे द्वारा संबंधित विभाग एवं पदाधिकारी को इस विषय से अवगत करवाया गया है परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1120. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव में बियाडा (BIADA) के पास 1,000 एकड़ से अधिक भूमि औद्योगिक विकास हेतु उपलब्ध है, जो सड़क और रेल मार्ग से जुड़े हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बुनियादी सुविधाओं यथा पक्की सड़क, उच्च क्षमता वाले बिजली सब-स्टेशन और औद्योगिक जल आपूर्ति के अभाव के कारण निवेशक उदासीन हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर उद्योगों को आकर्षित करने हेतु नई नीति के तहत प्लग एंड प्ले प्री-फैब्रिकेटेड शेड और आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण बैंक की शाखा खोलना

*1121. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चर्काई)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चर्काई के अन्तर्गत परांची पंचायत के ग्राम-बटपार एवं डडुबा पंचायत के ग्राम-विशनपुर आदि गांवों में कोई भी बैंक नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पंचायत के ग्रामों में ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1122. डॉ० प्रकाश चन्द्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के खउदनगर नगर परिषद् के अधिन वार्ड नं० 16 पिराही बाग एवं वार्ड नं० 17 बम रोड में कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसका घेराबन्दी का कार्य नहीं कराया गया है फलस्वरूप खुला रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित वार्डों में कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल में शामिल करना

*1123. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार एवं गड़हनी प्रखंड आरा अनुमंडल में है जबकि सहार एवं गड़हनी प्रखंड भौगोलिक, प्रशासनिक एवं यातायात की दृष्टि से पीरो अनुमंडल से 05 कि०मी० दूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सहार एवं गड़हनी आरा अनुमंडल में रहने के कारण आमजनता को काफी दूरी तय कर न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने में आर्थिक हानि एवं समय की बर्बादी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहार एवं गढ़नी प्रखंड को पीरो अनुमंडल में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फूड प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना कराना

*1124. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसौ प्रखंड में लीची उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के अभाव में लीची उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का उचित कीमत नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार मेहसौ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात थाना स्थापित

*1125. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड एवं एकंगरसराय प्रखंड में वर्तमान में एक भी यातायात थाना/यातायात पुलिस पदस्थापित नहीं है, जिसके कारण पूरे विधान सभा क्षेत्र में यातायात में काफी कठिनाई होती है और सड़क दुर्घटनाएँ, यातायात जाम एवं गंभीर यातायात अव्यवस्था की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार इस्लामपुर प्रखंड एवं एकंगरसराय प्रखंड में एक-एक यातायात थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1126. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकोहाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य दर्जी/टेलर/ आर्टिजन (कामगार) विकास समिति का गठन दर्जी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास, कौशल उन्नयन, स्वरोजगार एवं उद्योग संवर्द्धन के उद्देश्य से किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समिति के गठन के 6 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी आजतक उक्त समिति के स्थायी कार्यालय भवन तथा आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त समिति के स्थायी कार्यालय भवन तथा आधारभूत संरचना का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1127. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के पंचायत राज मतैया खास के ग्राम-मतैया खास में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना

*1128. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या 5/2025 अन्तर्गत (BPSSC) बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 1799 बिहार दारोगा कहाली हेतु आयोजित प्रारंभिक (PT) परीक्षा के प्रथम चरण के बाद परीक्षार्थियों को न तो प्रश्न-पत्र दिया गया और न ही OMR शीट को कार्बन कॉपी उपलब्ध करायी गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाद में उक्त परीक्षा की उत्तर कुंजी (Answer Key) सार्वजनिक नहीं की जाती है न ही कोटिवार कट-ऑफ दिया जाता है और न ही परिणाम के साथ सभी परीक्षार्थियों के प्रप्तांक जारी नहीं किये जाते हैं इस प्रकार पूरी बहाली में पारदर्शिता का अभाव रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दारोगा, सिपाही तथा अन्य बहालियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु खंड (2) में वर्णित प्रावधानों को नीतिगत रूप अपनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1129. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 विहपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के विहपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप खादी ग्रामोद्योग भवन जर्जर अवस्था में है, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना का निर्माण

*1130. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर थाना को आधुनिक नहीं होने के कारण प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक थाना को मॉडल थाना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का पुनर्निर्माण

*1131. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत मुगदपुर बंगरा पंचायत के वार्ड नं० 9 एवं माधोपुर दिघरूआ पंचायत के वार्ड नं० 4 में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों कब्रिस्तानों की चहारदीवारी ध्वस्त हो जाने के कारण यहां असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों के ध्वस्त चहारदीवारी का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डेहरी को जिला का दर्जा

*1132. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डेहरी क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां सबसे बड़ा शहर है (3.5 लाख) ;

(2) क्या यह बात सही है कि डेहरी में पहले से ही अनेक जिला और प्रमंडल स्तरीय कार्यालय जैसे डीआईजी कार्यालय, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग, सीआईडी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, पथ निर्माण विभाग आदि मौजूद है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित जिला डेहरी के अन्तर्गत 8 प्रखंडों (नौहट्टा, रोहतास, तिलीथू, डेहरी, अकोढीगोला, राजपुर, नासरीगंज और कारकाट कुल क्षेत्रफल 1576 वर्ग किलोमीटर) को चयनित किया गया है, जो कि एक दूसरे से सामाजिक और व्यापारिक रूप से जुड़े हुये हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक डेहरी को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल कार्यालय की स्थापना

*1133. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड पकड़ीबरावां की दूरी नवादा अनुमंडल से दूर है ;

(2) क्या-यह बात सही है कि पकड़ीबरावां से वारिसलीगंज, काशीचक रोह की दूरी मात्र 12-12 कि०मी० एवं कौवाकोल की दूरी 23 कि०मी० है, पकड़ीबरावां में पुलिस अनुमंडल मुख्यालय पूर्व से संचालित है, परन्तु पकड़ीबरावां में अनुमंडल कार्यालय की स्थापना हेतु सभी अर्हताएँ मौजूद हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पकड़ीबरावां में अनुमंडल कार्यालय कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खुलवाना

*1134. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, मच्छरगांवा में एसबीआई बैंक की एक भी शाखा उपलब्ध नहीं है जबकि उक्त नगर पंचायत बाबा मछेन्द्र नाथ की बसाई हुयी एक ऐतिहासिक नगरी है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत, मच्छरगांवा में एसबीआई बैंक की शाखा कबतक खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 16 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026